शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०

11 JAN 2019

# उच्चतर शिक्षा निदेशालय,
# हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171001

## प्रैस विज्ञप्ति

सर्व साधारण जनता / माता–पिता / अभिभावक / छात्र–छात्राओं को यह सूचित किया जाता है कि हि० प्र० राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के सौजन्य से हि० प्र० सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न छात्रवृतियों को प्रदान किया जाता है। कुछ समय से उच्च शिक्षा निदेशालय में छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृतियों से सम्बन्धित आपत्तियां दर्ज एंव उजागर की जा रही है। इनमें से अधिकतर आपत्तियां हि० प्र० से बाहर शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हि० प्र० के एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० तथा ई०बी०सी० वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृतियों से सम्बन्धित है। तथाकथित शिक्षा संस्थान हि०प्र० एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० तथा ई०बी०सी० वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले छात्र–छात्राओं को यह प्रलोभन देते है कि यदि हमारे शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेते है तो, आपसे हम कोई शिक्षा शुल्क या छात्रावास शुल्क नहीं लेगे। इस प्रलोभन की आड में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर ई–पास पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र भरे जाते है, तथा हिमाचल प्रदेश के भोले–भाले पात्र छात्र–छात्राओं की छात्रवृति हडप रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राज्य में एंव राज्य से बाहर ऐसे कोई भी शिक्षा संस्थान नही हैं जो बिना शुल्क लिए शिक्षा प्रदान करते है। छात्रवृति, पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ही दी जाती है। हि० प्र० शिक्षा विभाग द्वारा हि० प्र० के स्थाई छात्र–छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है, न कि उन शिक्षण संस्थानों को, जो इस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृति प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाती है। सभी सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह के मामले को ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाए ताकि हि० प्र० सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृति योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ हि० प्र० के स्थाई पात्र छात्र–छात्राओं को समय पर मिल सके व ऐसे संस्थानों पर विभाग द्वारा कडी से कडी कार्यवाही की जा सके।

(डा० अमरजीत कु० शर्मा)
निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001

पृष्ठांकन सं० ई०डी०एन०–एच (10)ए(7)2 / 2009–प्रैस विज्ञप्ति दिनांक: जनवरी, 2019

प्रतिलिपियां : –

1- प्रधान सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 को जानकारी हेतू प्रेषित।
2- नियन्त्रंक मुंद्रण तथा लेखन –सामग्री हि० प्र० से अनुरोध हैं कि उपरोक्त प्रैस विज्ञाप्ति को राजपत्र में प्रकाशित करे।
3- निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य वर्ग एवंम अल्पसंख्यक मामले हि० प्र० ब्लॉक न० 33 एस डी ए कॉम्पलैक्स शिमला–171009
4- कमीशनर (टी०डी०), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को जानकारी हेतू प्रेषित।
5- सम्पादक, दैनिक भास्कर, अमर उजाला ,आपका फेसला, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक।
6- ई–पास प्रभारी, छात्रवृति शाखा, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि०प्र०, को आदेश दिये जाते है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को ई–पास वैबसाईट पर अकिंत करें।
7- तकनीकी अधीकारी, आई० टी० सैल, शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि०प्र०, को आदेश दिये जाते है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाईट पर अकिंत करें।

(डा० अमरजीत कु० शर्मा)
निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001